This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार 18 अगस्त, 2012 / 27 श्रावण, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 17 अगस्त, 2012

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–33 / 2011–लेज.–भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19–7–2012 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश आबकारी विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 29) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 33 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
कर्म सिंह चन्देल,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश आबकारी विधेयक, 2011

धाराओं का क्रम

धारा :

अध्याय–1
प्रारम्भिक और परिभाषाएं

1. संक्षिप्त नाम।
2. परिभाषाएं।
3. देशी शराब और विदेशी शराब।
4. जारी की गई अधिसूचनाओं, अनुज्ञप्ति आदि के लागू करने को सीमित करने की शक्ति।

अध्याय–2
स्थापन और नियन्त्रण

5. वित्तायुक्त और कलक्टर।
6. आबकारी अधिकारियों के अन्य वर्ग तथा उनकी शक्तियां और अधिकारिता।
7. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त व्यक्तियों का लोक सेवक होना।
8. प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति।
9. अन्वेषण करने की शक्ति।
10. आबकारी अधिकारी की तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्तियां।
11. मजिस्ट्रेट की तलाशी लेने या गिरफ्तारी करने के लिए वारण्ट जारी करने की शक्ति।
12. आबकारी अधिकारियों की सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति।
13. पुलिस अधिकारियों द्वारा आबकारी अधिकारियों आदि की सहायता करना और अभिगृहीत वस्तुओं का प्रभार लेना।
14. शराब की दुकानें (लीकर बेन्डज) बन्द करने की शक्ति।

अध्याय–3
उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय या विक्रय

भाग–क
विनिर्माण

15. इस अधिनियम के अधीन के सिवाय, शराब के विनिर्माण का प्रतिषेध।
16. डिस्टिलरियों, ब्रुअरियों, वाइनरि या भाण्डागार की स्थापना या अनुज्ञापन।
17. डिस्टिलरि, ब्रुअरि या भाण्डागार आदि में विनिर्मित या संगृहीत (रखी) शराब को हटाने का प्रतिषेध।

खण्ड–ख
कब्जा

18. शराब के कब्जे का प्रतिषेध।
19. कतिपय व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त और मुद्रित लेबल, डाट (कॉर्क) आदि अपने कब्जे में रखना दण्डनीय।
20. विधि विरुद्धतया विनिर्मित, आयातित, परिवाहित आदि शराब के कब्जे का प्रतिषेध।

भाग–ग
आयात, निर्यात और परिवहन

21. शराब के आयात, निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध।
22. शराब का आयात, निर्यात या परिवहन प्रतिषिद्ध करने या अनुज्ञा देने की राज्य सरकार की शक्ति।

भाग–घ
विक्रय आदि

23. शराब के विक्रय आदि का प्रतिषेध।
24. अपमिश्रित शराब के विक्रय आदि का प्रतिषेध।
25. शराब की खुदरा और थोक बिक्री की सीमा घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति।
26. अव्यस्क को विक्रय या उसके नियोजन का प्रतिषेध।

अध्याय–4
अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र और पास

27. विनिर्माण, विक्रय आदि के लिए पट्टे अनुदत्त करना।
28. अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों और पास प्रदान करने हेतु फीस तथा अन्य शर्तें।
29. अनुज्ञप्तियां आदि रद्द करने या निलम्बित करने की शक्ति।
30. किसी अन्य अनुज्ञप्ति को रद्द करने और फीस वसूल करने की शक्ति।
31. अनुज्ञप्ति आदि के रद्दकरण या निलम्बन हेतु कोई प्रतिकर या प्रतिदाय दावा योग्य नहीं।
32. अनुज्ञप्ति आदि को प्रत्याहृत करने की शक्ति।
33. अनुज्ञप्ति आदि में तकनीकी अनियमितताएं।
34. अनुज्ञप्ति आदि के नवीकरण से इन्कार करने पर कोई दावा नहीं।
35. अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण।

अध्याय–5
आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क

36. आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क।
37. रीति, जिसमें शुल्क उद्गृहीत किया जाए।
38. पट्टे प्रदान करने हेतु संदाय।

अध्याय–6
अपराध और शास्तियां

39. विधिविरुद्ध उत्पादन, विनिर्माण, कब्जे, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि के लिए शास्ति।
40. विकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने या बनाने का प्रयास करने के लिए शास्ति।
41. शराब में अपायकर पदार्थ मिलाने के लिए शास्ति।
42. प्रतिकर का संदाय।
43. अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कृत्यों के लिए शास्ति।
44. अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता या उसके सेवक द्वारा कपट के लिए शास्ति।
45. रसायनज्ञ (कैमिस्ट) की दुकान में शराब का उपभोग करने के लिए शास्ति।
46. सार्वजनिक स्थानों में शराब का उपभोग करने के लिए शास्ति।
47. अन्यथा अनुपबंधित अपराधों के लिए शास्ति।
48. किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के मद्दे विनिर्माण, विक्रय या कब्जा।
49. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड।
50. दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना।
51. गिरफ्तारियों, तलाशियों आदि से सम्बद्ध प्रक्रिया।
52. कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए अन्वेषक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट।
53. अपराधों का जमानतीय आदि होना।
54. वारण्ट के बिना गिरफ्तारी की दशा में हाजिरी के लिए प्रतिभूति।
55. अपराधों का संज्ञान।
56. कतिपय मामलों में अपराध के किए जाने की उपधारणा।

57. कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा किए गए अपराध के लिए नियोक्ता का दायित्व।
58. कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगति।
59. किसी आबकारी अधिकारी द्वारा तंग करने वाली तलाशी, अभिग्रहण, निरोध या गिरफ्तारी करने के लिए शास्ति।

अध्याय–7
अधिहरण

60. वस्तु का अधिहरण (जब्ती) जिसकी बाबत अपराध किया गया है।
61. अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी यान, वाहन और शराब का निरीक्षण तथा अभिग्रहण।
62. कतिपय मामलों में आबकारी अधिकारी द्वारा यान या वाहन का अधिहरण (जब्ती)।
63. धारा 62 के अधीन अधिहरण (जब्ती) से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करना।
64. अधिहरण (जब्ती) के बदले शास्ति।
65. विचारण के लम्बित रहने के दौरान अभिगृहीत शराब का निपटान।

अध्याय–8
शमन

66. कलक्टर द्वारा अपराधों का शमन।
67. कतिपय अन्य अपराधों का शमन।

अध्याय–9
अपील और पुनरीक्षण

68. अपील।
69. पुनरीक्षण।
70. कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन।

अध्याय–10
देयों की वसूली

71. अनुज्ञप्ति फीस आदि वसूल करने की शक्ति।
72. अनुदान अपने प्रबन्धाधीन लेने या पुनः विक्रय करने तथा कमी वसूल करने की कलक्टर की शक्ति।
73. आबकारी राजस्व का प्रथम प्रभार होना और भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होना।

अध्याय–11
साधारण उपबन्ध

74. माप, बाट और परीक्षण उपकरण।
75. छूट देने की शक्ति।
76. शक्तियों का प्रत्यायोजन।
77. विज्ञापन विनियमित करने की शक्ति।
78. पड़ताल चौकियों (चैक पोस्ट्स) या नाकों (बैरियरों) की स्थापना।
79. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
80. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
81. वित्तायुक्त की नियम बनाने की शक्तियां।
82. निरसन और व्यावृत्तियां।

2012 का अधिनियम संख्यांक 33

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011

(राष्ट्रपति महोदया द्वारा तारीख 19 जुलाई, 2012 को यथाअनुमोदित)

मादक शराब के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जे, आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय और विक्रय से सम्बन्धित विधि को समेकित, संशोधित और अद्यतन करने तथा मादक शराब पर आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क के उद्ग्रहण के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :––

अध्याय–1

प्रारम्भिक और परिभाषाएं

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 है।

2. **परिभाषाएं.**–इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो,––

(क) ''बियर'' से चीनी और हॉप्स के संयोजन के साथ या उसके बिना माल्ट अथवा अनाज से तैयार ऐल्कोहलिक पेय अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत ब्लैक बियर, जौ की शराब, यवसुरा, जौ की तीव्र लाल मदिरा और ऐसे अन्य पदार्थ, जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, भी हैं;

(ख) ''बोतल में भरना'' से पीपे (कास्क) या अन्य बर्तन से बोतल या अन्य अनुमोदित पात्र में शराब डालना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पुनः बोतल में भरना भी है;

(ग) ''ब्रुअरि'' से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां बियर विनिर्मित की जाती है और इसमें प्रत्येक ऐसा स्थान सम्मिलित है जहां बियर का भण्डारण किया जाता है या जहां से यह दी (भेजी) जाती है;

(घ) ''कलक्टर'' से इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) ''विकृत'' से कारगर तौर पर और स्थायी रूप से मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त कर देना अभिप्रेत है;

(च) ''डिस्टिलरि'' से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां स्पिरिट विनिर्मित की जाती है, और इसमें प्रत्येक ऐसा स्थान सम्मिलित है जहां इसका भण्डारण किया जाता है या जहां से यह दी (भेजी) जाती है;

(छ) ''आबकारी शुल्क'' और ''प्रतिशुल्क'' से, यथास्थिति, ऐसा कोई आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क अभिप्रेत है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-II की प्रविष्टि 51 में यथा वर्णित है;

(ज) ''आबकारी अधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा (6) के अधीन नियुक्त या शक्तियों से विनिहित कोई अधिकारी या व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) ''आबकारी राजस्व'' से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत या संदेय किसी संदाय, शुल्क, अनुज्ञप्ति फीस या अन्य फीस, अधिरोपित जुर्माना या शास्ति या आदेशित अधिहरण से व्युत्पन्न या व्युतपाद्य राजस्व अभिप्रेत है, परन्तु इसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना नहीं है;

(ञ) ''निर्यात'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत क्षेत्र से अन्यथा, हिमाचल प्रदेश से बाहर ले जाना अभिप्रेत है;

(ट) ''वित्तायुक्त'' से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त अभिप्रेत है;

(ठ) ''आयात'' से (''भारत में आयात'' अभिव्यक्ति में के सिवाय) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत क्षेत्र से अन्यथा हिमाचल प्रदेश में लाना अभिप्रेत है;

(ड) ''अनुज्ञप्ति'' से इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(ढ) ''शराब'' से मादक शराब अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत सभी द्रव हैं, जिनमें एल्कोहल विद्यमान है या प्रयुक्त है चाहे उसे किण्वन द्वारा या पश्चात्वर्ती आसवन द्वारा अभिप्राप्त किया है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई पदार्थ भी है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा शराब घोषित करे;

(ण) ''विनिर्माण'' के अन्तर्गत ऐसी कोई प्रक्रिया है, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की शराब का उत्पादन किया जाता है या उसे तैयार किया जाता है और इसके अन्तर्गत पुनः आसवन तथा शराब के परिशोधन, अवकरण, सुवासन, सम्मिश्रण या रंजन करने या बोतलीकरण के लिए प्रत्येक प्रक्रिया भी है;

(त) ''औषधीय निर्मितियों'' और ''प्रसाधन निर्मितियों'' के वही अर्थ होंगे जो औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 में उनके हैं;

(थ) ''शीरा'' से खाण्डसारी चीनी सहित, गुड़ या चीनी के विनिर्माण की अन्तिम अवस्था में गन्ने या गुड़ से उत्पादित गहरा काला रंगीन चिपचिपा तरल (द्रव) अभिप्रेत है, जब तरल (द्रव) या किसी ऐसे रूप में या चीनी सहित मिश्रण हो, जिसे किण्वित किया जा सके;

(द) ''अधिसूचना'' से इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी तथा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ध) ''पास'' से ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जो शराब के हटाए जाने या उसके परिवहन को वस्तुतः प्राधिकृत करता है;

(न) ''अनुज्ञापत्र'' से गंतव्य स्थान से सम्बद्ध जिला के कलक्टर या शराब के आयात और परिवहन के लिए इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनापत्ति का कथन अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत खुदरा बिक्री की सीमा से अधिक शराब के कब्जे को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज अभिप्रेत है;

(प) ''स्थान'' के अन्तर्गत कोई भवन, दुकान, टैन्ट, अहाता, बूथ, यान, जलयान, नौका (बोट) और राफ्ट है;

(फ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ब) ''विक्रय'' के अन्तर्गत दान से अन्यथा कोई अन्तरण है;

(भ) ''राज्य'' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(म) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(य) ''स्पिरिट'' से आसवन द्वारा प्राप्त कोई ऐल्कोहलयुक्त तरल (द्रव) चाहे विकृत हो अथवा नहीं, अभिप्रेत है;

(यक) ''परिवहन'' से राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना अभिप्रेत है;

(यख) ''यान'' से किसी भी प्रकार का पहिएदार वाहन अभिप्रेत है जो चलाए जाने के लिए सक्षम है और इसके अन्तर्गत एअरक्राफ्ट, नौका (बोट), जलयान, राफ्ट, मोटर यान, छकड़ा और पशु द्वारा वहन भी है;

(यग) ''भाण्डागार'' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां शराब का भण्डारण अनुज्ञात है और इसके अन्तर्गत विनिर्माणशाला का सुसंगत भाग भी है; और

(यघ) ''वाइनरि'' से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां मदिरा (वाइन) विनिर्मित की जाती है और इसमें प्रत्येक ऐसा स्थान सम्मिलित है जहां इसका भण्डारण किया जाता है या जहां से यह भेजी जाती है।

3. **देशी शराब और विदेशी शराब.**—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु, किसे ''देशी शराब'' और किसे ''विदेशी शराब'' समझा जाए।

4. **जारी की गई अधिसूचनाओं, अनुज्ञप्ति आदि के लागू करने को सीमित करने की शक्ति.**—जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है, कोई नियुक्ति की जाती है, कोई शक्ति प्रदत्त की जाती है, या कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास प्रदान किया जाता है, तो राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यह निदेश दें कि——

(क) यह समस्त राज्य या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों को लागू होगा / होगी;

(ख) यह समस्त या किसी वर्ग के व्यक्तियों, अधिकारियों या ऐसे अधिकारियों के कृत्यों और शक्तियों को लागू होगा / होगी;

(ग) यह समस्त किसी विनिर्दिष्ट शराब या इसके प्रकार को लागू होगा / होगी; और

(घ) यह केवल कुछ विशेष अवधि या अवसर हेतु प्रवृत्त रहेगा / रहेगी।

अध्याय—2

स्थापन और नियन्त्रण

5. **वित्तायुक्त और कलक्टर.**—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त जो वित्तायुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा नियुक्त कर सकेगी और राज्य सरकार के नियन्त्रण के अध्यधीन आबकारी सम्बन्धी सभी मामलों का साधारण अधीक्षण एवं प्रशासन उस में निहित होगा।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कलक्टर के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिसूचना द्वारा उतने कलक्टर नियुक्त कर सकेगी जितने वह उचित समझे और कलक्टर, वित्तायुक्त के नियन्त्रण के अध्यधीन, अपनी अधिकारिता के भीतर अन्य समस्त आबकारी अधिकारियों को नियंत्रित करेगा।

(3) वित्तायुक्त की अधिकारिता का विस्तार समस्त राज्य में होगा और कलक्टर की अधिकारिता का विस्तार, राज्य के उस क्षेत्र, जिस में वे तत्समय नियोजित हैं, में होगा।

6. आबकारी अधिकारियों के अन्य वर्ग तथा उनकी शक्तियां और अधिकारिता.—(1) आबकारी अधिकारियों के ऐसे अन्य वर्ग होंगे जैसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे और यह उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जितने को वह इन वर्गों के लिए आबकारी अधिकारी होना उचित समझे।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन आबकारी अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए, किसी व्यक्ति में, जो आबकारी अधिकारी न हो, अधिसूचना द्वारा, शक्तियां विनिहित कर सकेगी और इन कृत्यों का प्रयोग करने वाला ऐसा व्यक्ति आबकारी अधिकारी समझा जाएगा।

(3) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ग के आबकारी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों को अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी।

(4) आबकारी अधिकारियों की अधिकारिता, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्दिष्ट न करे, उन जिलों को विस्तारित होगी जिनमें वे तत्समय नियोजित हैं।

7. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त व्यक्तियों का लोक सेवक होना.—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

8. प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति.—कोई भी आबकारी अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से नीचे का न हो, जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,——

(क) किसी भी समय, दिन या रात में किसी भी ऐसे स्थान, जिसमें कोई अनुज्ञप्त विनिर्माता किसी भी प्रकार की शराब का विनिर्माण या भण्डारकरण करता हो, में प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा;

(ख) किसी भी समय, किसी भी ऐसे स्थान में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय के लिए शराब रखी गई है, प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा;

(ग) किन्हीं लेखों और रजिस्टरों का परीक्षण कर सकेगा, किसी सामग्री, भट्ठियों (स्टिलज), बर्तनों, उपकरणों, साधित्रों या परीक्षण उपकरणों या उस स्थान में पाई गई शराब का परीक्षण, माप या तोल कर सकेगा;

(घ) किन्हीं लेखों, रजिस्टर, माप बाटों या परीक्षण उपकरणों को जब्त कर सकेगा जिनके बारे उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वे मिथ्या या गलत हैं; और

(ङ) किसी शराब, जिसके बारे में उस के पास विश्वास करने का कारण है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे गए लेखों और रजिस्टर में उस का लेखा नहीं दिया गया है, को जब्त कर सकेगा।

9. अन्वेषण करने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी आबकारी अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, जो उस अधिकारी की अधिकारिता वाले क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किया गया हो, अन्वेषण करने की शक्ति दे सकेगी।

(2) इस प्रकार सशक्त प्रत्येक अधिकारी, उन सीमाओं के भीतर, ऐसे अन्वेषण की बाबत, वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन, किसी संज्ञेय मामले में, किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी प्रयोग करे।

10. आबकारी अधिकारी की तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्तियां.—(1) जब कभी किसी आबकारी अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से नीचे का न हो जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को, किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर किया गया है, या किया जा रहा है, या किए जाने की संभावना है और अपराधी को, भागने

या अपराध का साक्ष्य छिपाने का अवसर दिए बिना तलाशी वारण्ट अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है तो, वह किसी भी समय रात या दिन को, ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भी आबकारी अधिकारी, ऐसे स्थान पर पाई गई प्रत्येक वस्तु, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि यह इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, का अभिग्रहण कर सकेगा और यदि वह उचित समझे तो, ऐसे स्थान पर पाए गए किसी व्यक्ति, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह उपरोक्त ऐसे अपराध का दोषी है, को निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

11. मजिस्ट्रेट की तलाशी लेने या गिरफ्तारी करने के लिए वारण्ट जारी करने की शक्ति.—कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है, या उसके किए जाने की सम्भावना है, तो वह——

(क) किसी स्थान, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, कि उसमें कोई शराब, भट्ठी (स्टिल), बर्तन, उपकरण, साधित्र या सामग्री, जिसकी बाबत ऐसा अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की सम्भावना है, रखी गई है या छिपाई गई है, की तलाशी के लिए वारण्ट जारी कर सकेगा; और

(ख) किसी व्यक्ति, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे किसी अपराध के किए जाने में लगा हुआ है, लगाया जा सकता है, या उसके लगाए जाने की सम्भावना है, की गिरफ्तारी का वारण्ट जारी कर सकेगा।

12. आबकारी अधिकारियों की सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति.—(1) कोई भी आबकारी अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से नीचे का न हो, जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति से, किसी भी प्रकार की शराब या किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किसी सामग्री, भट्ठी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या साधित्र चाहे किसी भी प्रकार का हो, के किसी भी अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, विक्रय, क्रय या कब्जे से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी को, किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) के अधीन आदेश की तामील की गई है, युक्तियुक्त कारण के अभाव में, सही सूचना देने को बाध्य होगा।

13. पुलिस अधिकारियों द्वारा आबकारी अधिकारियों आदि की सहायता करना और अभिगृहीत वस्तुओं का प्रभार लेना.—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन में समस्त पुलिस अधिकारी, आबकारी अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों की सहायता करेंगे।

(2) पुलिस स्टेशन का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत सभी वस्तुओं, जो उसे परिदत्त की जाएं, को न्यायिक मजिस्ट्रेट या सम्बद्ध कलक्टर या इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी मामले का अन्वेषण करने को सशक्त किसी अधिकारी के आदेशों तक, अपने प्रभार में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और किसी भी आबकारी अधिकारी, जो ऐसी वस्तुओं के साथ–साथ पुलिस स्टेशन जाए या जिसे उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किया हो, को ऐसी वस्तुओं पर मोहर लगाने देगा और उनके तथा उनसे नमूने लेने देगा और इस प्रकार लिए गए सभी नमूने, पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी की मोहर सहित मुहरबन्द किए जाएंगे।

14. शराब की दुकानें (लीकर बेन्डज) बन्द करने की शक्ति.—वित्तायुक्त, राज्य सरकार या भारत के निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित नशाबन्द दिवस (ड्राईडेज), के अनुपालन के लिए ऐसा (ऐसे) दिन (दिनों को) विहित करेगा, जिस दिन शराब की दुकान बन्द रहेगीः

परन्तु यदि जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि शराब की दुकान के आसपास कोई बलवा या विधि विरुद्ध जमाव हुआ है या होने की सम्भावना है तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित

करने के अध्यधीन, आदेश द्वारा, ऐसे समय पर जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी शराब की दुकान के अनुज्ञप्तिधारी से दुकान बन्द रखने की अपेक्षा करेगा :

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन पारित आदेश, एक समय में, जब इसे पारित किया गया है; 24 घण्टे से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि जिला मजिस्ट्रेट वित्तायुक्त और सम्बद्ध कलक्टर को, स्वयं द्वारा पारित आदेश को ऐसे आदेश के किए जाने से यथाशीघ्र सूचित करेगा।

अध्याय–3

उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय या विक्रय

भाग–क
विनिर्माण

15. इस अधिनियम के अधीन के सिवाय, शराब के विनिर्माण का प्रतिषेध.–(1) कोई भी व्यक्ति वित्तायुक्त के प्राधिकार के अधीन और इस निमित्त उसके द्वारा विहित की जाने वाली शर्तों एवं निबन्धनों के अध्यधीन के सिवाय––

(क) किसी भी प्रकार की शराब का विनिर्माण या उत्पादन नहीं करेगा, या

(ख) डिस्टिलरि, ब्रुअरि या भाण्डागार (जहां किसी भी प्रकार की शराब जमा की जा सके और आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क का संदाय किए बिना रखी जा सके), का निर्माण या संचालन नहीं करेगा, या

(ग) किसी भी प्रकार की शराब को बोतल में नहीं भरेगा, या

(घ) किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण या उत्पादन के लिए किसी भी सामग्री, भट्ठी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या साधित्र का, चाहे किसी भी प्रकार का हो, न तो प्रयोग करेगा, न रखेगा, या न ही कब्जे में रखेगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी भी प्रकार की आसुत शराब का, किसी भी प्रकार या वर्ग की शराब के विनिर्माण में उपयोग प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

16. डिस्टिलरियों, ब्रुअरियों, वाइनरि या भाण्डागार की स्थापना या अनुज्ञापन.–वित्तायुक्त, ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों, जैसे राज्य सरकार अधिरोपित कर सकेगी,के अध्यधीन––

(क) कोई डिस्टिलरि स्थापित कर सकेगा जिसमें धारा 15 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन स्पिरिट विनिर्मित की जा सकेगी;

(ख) इस प्रकार स्थापित किसी डिस्टिलरि को बन्द कर सकेगा;

(ग) किसी डिस्टिलरि या ब्रुअरि या वाइनरि के निर्माण और संचालन की अनुज्ञप्ति दे सकेगा;

(घ) किसी भाण्डागार, जिसमें किसी भी प्रकार की शराब शुल्क के संदाय के बिना जमा की जा सकेगी और रखी जा सकेगी, की स्थापना कर सकेगा और अनुज्ञप्ति दे सकेगा;

(ङ) इस प्रकार स्थापित किसी भाण्डागार को बन्द कर सकेगा; और

(च) निम्नलिखित की बाबत नियम बना सकेगा––

(1) डिस्टिलरियों, स्टिलज, ब्रुअरियों या वाइनरियों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना;

(2) डिस्टिलरि, ब्रुअरि या वाइनरि के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निक्षिप्त की जाने वाली प्रतिभूति;

(3) अवधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी;

(4) ऐसी डिस्टिलरि, ब्रुअरि या वाइनरि और उनसे सम्बद्ध भाण्डागारों तथा उनमें बनाई और रखी गई स्पिरिट या किण्वित शराब का निरीक्षण और परीक्षण;

(5) डिस्टिलरि, ब्रुअरि या वाइनरि का प्रबन्धन और संचालन;

(6) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे जाने वाले लेखों और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के प्ररूप;

(7) भवनों और संयन्त्रों का रख–रखाव;

(8) स्टिलज और अन्य संयन्त्रों के आकार और प्रकार;

(9) स्पिरिट या किण्वित शराब का विनिर्माण, भण्डारण और पास करना तथा पासों की विषय–वस्तुएं;

(10) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारित की जाने वाली कीमतें; और

(11) डिस्टिलरियों, ब्रुअरियों या वाइनरियों के संचालन से सम्बद्ध कोई अन्य मामले।

17. डिस्टिलरि, ब्रुअरि या भाण्डागार आदि में विनिर्मित या संगृहीत (रखी) शराब को हटाने का प्रतिषेध.–किसी डिस्टिलरि, ब्रुअरि, वाइनरि या भाण्डागार अथवा इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त भण्डारण के किसी अन्य स्थान में विनिर्मित या संगृहीत (रखी) किसी भी प्रकार की शराब को वहां से तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक, यथास्थिति, धारा 36 के अधीन उद्गृहीत और देय आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क, यदि कोई हो, को संदत्त न कर दिया गया हो या उसके संदाय हेतु यथाविहित बंधपत्र निष्पादित न कर दिया गया हो।

भाग–ख
कब्जा

18. शराब के कब्जे का प्रतिषेध.–(1) कोई भी व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा धारा 25 के अधीन खुदरा बिक्री की घोषित सीमा से अधिक किसी भी मात्रा की शराब को––

(क) ऐसी वस्तु के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय या आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति, या

(ख) इस निमित्त कलक्टर द्वारा जारी किसी अनुज्ञा पत्र या पास के प्राधिकार के अधीन या इनके निबन्धनों और शर्तों के अनुसार के सिवाय, अपने कब्जे में नहीं रखेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी सामान्य वाहक या आबकारी अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी या व्यक्ति के कब्जे की किसी भी प्रकार की शराब को लागू नहीं होगी, जिसके पास इस अधिनियम के अधीन इसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा है।

(2) कोई भी अनुज्ञप्त विक्रेता अपने पास उसे अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत से भिन्न किसी भी स्थान पर, राज्य सरकार द्वारा धारा 25 के अधीन खुदरा बिक्री की घोषित सीमा से अधिक मात्रा की किसी भी प्रकार की शराब को, इस निमित्त कलक्टर द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के अधीन के सिवाय अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी प्रकार की शराब के कब्जे को प्रतिषिद्ध कर सकेगी या ऐसे कब्जे को, ऐसी शर्तों द्वारा, जैसी यह अधिरोपित करे, निर्बन्धित कर सकेगी।

19. कतिपय व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त और मुद्रित लेबल, डाट (कॉर्क) आदि अपने कब्जे में रखना दण्डनीय.–कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन,

किसी प्राधिकारी द्वारा किसी डिस्टिलरि या ब्रुअरि, वाइनरि या भाण्डागार स्थापित करने या संचालित करने या शराब बोतल में भरने के लिए अनुज्ञप्त व्यक्ति के उपयोग हेतु सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अप्रयुक्त और मुद्रित लेबल, डाट (कॉर्क), कैप्स्यूल या कोई अन्य लेबल, डाट (कॉर्क), कैप्स्यूल या सील जो, यथास्थिति, ऐसे अप्रयुक्त और मुद्रित लेबल, डाट (कॉर्क), कैप्स्यूल, या सील की नकल हो, अपने कब्जे में नहीं रखेगा :

परन्तु उसमें कोई भी––

(क) किसी व्यक्ति जो डिस्टिलरि, ब्रुअरि, वाइनरि, या भाण्डागार स्थापित या संचालन करने या शराब को बोतल में भरने के लिए अनुज्ञप्त हो; या

(ख) किसी व्यक्ति, जो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्राप्त आदेश के निष्पादन में, ऐसे किसी लेबल, डाट (कॉर्क), कैप्स्यूल या मुद्रा का विनिर्माण करता है या मुद्रित करता है;

को लागू नहीं होगा।

20. विधि विरुद्धतया विनिर्मित, आयातित, परिवाहित आदि शराब के कब्जे का प्रतिषेध.–कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार की शराब की किसी भी मात्रा को यह जानते हुए कि यह विधिविरुद्धतया विनिर्मित, आयातित, परिवाहित की गई है या यह जानते हुए कि उस पर विहित आबकारी शुल्क, प्रतिशुल्क या अन्य फीस संदत्त नहीं की गई है, अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

भाग–ग
आयात, निर्यात और परिवहन

21. शराब के आयात, निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध.–किसी भी प्रकार की शराब का,––

(क) आबकारी शुल्क या फीस या प्रतिशुल्क, यदि कोई है जिसके लिए यह इस अधिनियम के अधीन दायी हो, के संदाय या ऐसे संदाय हेतु यथा विहित बंधपत्र के निष्पादन, और

(ख) राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के अनुसार के सिवाय,

आयात या निर्यात या परिवहन नहीं किया जाएगा।

22. शराब का आयात, निर्यात या परिवहन प्रतिषिद्ध करने या अनुज्ञा देने की राज्य सरकार की शक्ति.–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,––

(क) राज्य से या उसके किसी भाग में या से किसी भी प्रकार की शराब का आयात या निर्यात, या

(ख) किसी भी प्रकार की शराब का परिवहन,

प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा विहित की जाने वाली मात्रा से अधिक मात्रा की किसी भी प्रकार की शराब का, कलक्टर द्वारा जारी पास के प्राधिकार के अधीन के सिवाय, आयात, निर्यात या परिवहन नहीं किया जाएगा :

परन्तु ऐसी शर्तों पर, जैसी वित्तायुक्त विहित करे अन्य राज्य में प्रवृत्त आबकारी कानून के अधीन प्रदान किया गया पास, इस अधिनियम के अधीन प्रदान किया गया पास समझा जा सकेगा।

भाग–घ
विक्रय आदि

23. शराब के विक्रय आदि का प्रतिषेध.–(1) किसी भी प्रकार की शराब का विक्रय, यथास्थिति, वित्तायुक्त या कलक्टर के प्राधिकार के अधीन, और इस निमित्त जारी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन के सिवाय, नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी प्रकार की शराब का विक्रय उपधारा (1) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट स्थान से अन्यथा किसी स्थान से नहीं किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, उपधारा (1) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के सिवाय, शराब के उपभोग की अनुमति नहीं देगा।

(4) इस धारा की कोई बात, किसी व्यक्ति द्वारा उसके अपने उपयोग के लिए विधिपूर्ण ढंग से उपाप्त और उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसके प्रतिनिधियों की ओर से उसके स्थान छोड़ने के कारण या उसकी मृत्यु के पश्चात् विक्रीत किसी प्रकार की विदेशी शराब पर लागू नहीं होगी।

24. अपमिश्रित शराब के विक्रय आदि का प्रतिषेध.–कोई अनुज्ञप्त विक्रेता और ऐसे विक्रेता के नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति किसी प्रकार की शराब को, जिसे विक्रीत करने हेतु विक्रेता अनुज्ञप्त है, कोई पदार्थ मिलाकर ऐसी रीति में अपमिश्रित नहीं करेगा जिससे कि ऐसी शराब का विहित प्राबल्य (स्ट्रेन्थ) या गुणवत्ता (क्वालिटी) में फेर–फार हो तथा कोई ऐसा विक्रेता या व्यक्ति किसी प्रकार की ऐसी अपमिश्रित शराब अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उसका भण्डारण नहीं करेगा, उसका विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए नहीं रखेगा।

25. शराब की खुदरा और थोक बिक्री की सीमा घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति.–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा या तो सम्पूर्ण राज्य या उसमें समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र की बाबत और सामान्यतः क्रयों या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के क्रेताओं के सम्बन्ध में, और सामान्यतयः या किसी विनिर्दिष्ट अवसर पर, किसी भी प्रकार की शराब, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए खुदरा या थोक द्वारा विक्रय किया जा सकता है, की अधिकतम और न्यूनतम मात्रा या दोनों को घोषित कर सकेगी।

26. अव्यस्क को विक्रय या उसके नियोजन का प्रतिषेध.–(1) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की शराब का, दृश्यमानतः अठारह वर्ष की आयु से कम के किसी व्यक्ति को, विक्रय करता है या परिदत्त करता है, तो वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, परन्तु जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, किसी शराब की दुकान या बार या किसी अन्य स्थान में, जहां शराब या अन्य मादक पदार्थ बिक्रीत, भण्डारित या परोसे जाते हैं, अठारह वर्ष की आयु से कम के किसी व्यक्ति को नियोजित करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

अध्याय–4

अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र और पास

27. विनिर्माण, विक्रय आदि के लिए पट्टे अनुदत्त करना.–(1) राज्य सरकार, संविदा करने के लिए सक्षम किसी भी व्यक्ति को, उत्पाद शुल्क या प्रतिशुल्क के अतिरिक्त ऐसी राशि के संदाय पर ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए जैसी यदि उचित समझे किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी देशी शराब, विदेशी शराब, बियर, वाईन, स्पिरिट के––

(क) विनिर्माण द्वारा या थोक द्वारा प्रदाय करने अथवा दोनों, या

(ख) थोक द्वारा या खुदरा द्वारा विक्रय, या

(ग) भण्डारण या विनिर्माण या बिक्री के अधिकार को पट्टे पर दे सकेगी।

(2) राज्य सरकार ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी शर्तों पर जैसी वित्तायुक्त धारा 28 के अधीन निर्दिष्ट कर सकेगा, संविदा करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति को––

(क) जनजातीय क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट फलों या अनाज से आसवन द्वारा देशी शराब, या

(ख) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अनाज से देशी किण्वित शराब,

घरेलू उपयोग हेतु विनिर्मित करने और अपने कब्जे में रखने के अधिकार पट्टे पर दे सकेगी।

स्पष्टीकरण.–– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 'जनजातीय क्षेत्र' या 'विनिर्दिष्ट क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत होगा, जो निरसित पंजाब एक्साईज एक्ट, 1914 के अधीन हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के प्रारम्भ की तारीख को 'जनजातीय क्षेत्र' या 'विनिर्दिष्ट क्षेत्र' अधिसूचित हो।

(3) वित्तायुक्त, ऐसे पट्टे के निबंधनों के अनुसार, पट्टेदार को शराब के विनिर्माण या प्रदाय हेतु ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त (प्रदान) कर सकेगा जैसी राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित की जाए; परन्तु कलक्टर, पट्टेदार को थोक द्वारा या परचून द्वारा विक्रय हेतु ऐसी अनुज्ञप्तियां प्रदान कर सकेगा जैसी वित्तायुक्त विहित करे।

(4) कलक्टर, उपधारा (2) के अधीन किसी पट्टेदार को ऐसे प्ररूप में अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगा जैसे वित्तायुक्त विहित कर सकेगा।

28. अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों और पास प्रदान करने हेतु फीस तथा अन्य शर्तें.–(1) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास––

(क) ऐसी फीस, यदि कोई हो, के संदाय पर,

(ख) ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट,

(ग) ऐसे निबन्धनों और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, और

(घ) ऐसी अवधि के लिए, प्रदान किया जाएगा,
जैसी वित्तायुक्त विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वित्तायुक्त की निदेश जारी करने की शक्ति में डिस्टिलरि, ब्रुअरि या वाइनरि या भाण्डागार के अनुज्ञप्तिधारी को––

(क) सम्बद्ध आबकारी अधिकारी को अनुज्ञप्त परिसरों में या के नजदीक मुफ्त आवास की व्यवस्था करने, ऐसा न होने पर ऐसे आवास के लिए भाटक और अन्य प्रभारों, जो वित्तायुक्त द्वारा नियत किए जा सकेंगे का राज्य सरकार को संदाय करने; और

(ख) ऐसे आबकारी अधिकारियों के वेतन और भत्तों सहित लागतों, प्रभारों और व्ययों, जो राज्य सरकार ऐसी डिस्टिलरि, ब्रुअरि, वाइनरि या भाण्डागार के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में उपगत कर सकेगी, का राज्य सरकार को संदाय करने, के लिए निदेश देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी से, उसकी अनुज्ञप्ति के निबंधनों के पालन के लिए ऐसी प्रतिभूति देने या प्रतिभूति के स्थान पर ऐसा निक्षेप करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो ऐसा प्राधिकारी निर्दिष्ट करे।

(4) वित्तायुक्त द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन कलक्टर जिला के भीतर किसी भी प्रकार की शराब के विक्रय के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान कर सकेगाः

परन्तु एक से अधिक जिलों में विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति केवल वित्तायुक्त द्वारा प्रदान की जाएगी।

(5) किन्हीं परिसरों, जो पूर्ववर्ती वर्ष में इस प्रकार अनुज्ञप्त न किए गए हों, में उपभोग हेतु शराब के परचून विक्रय के लिए किसी वर्ष में कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व कलक्टर ऐसे उपाय करेगा, जो राज्य सरकार विहित करे, जो ऐसे परिसरों को अनुज्ञप्त करने की बाबत स्थानीय लोक राय का पता लगाने के लिए उसे पूर्णतः समर्थ बनाएं।

29. अनुज्ञप्तियां आदि रद्द करने या निलम्बित करने की शक्ति.—ऐसे निर्बन्धनों जैसे राज्य सरकार विहित करे, के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास प्रदान करने वाला प्राधिकारी, इसे रद्द या निलम्बित कर सकेगा यदि——

(क) इसे इसके धारक द्वारा उक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना अन्तरित या शिकमी (सबलेट) कर दिया हो; या

(ख) इसके धारक द्वारा संदेय कोई आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क या अन्य फीस सम्यक् रूप से संदत्त नहीं की गई हो; या

(ग) ऐसे पट्टे (लीज), अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के धारक या उसके सेवकों द्वारा या उसकी अभिव्यक्ति या विवक्षित अनुज्ञा से कार्य करने वाले किसी अन्य द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों का कोई उल्लंघन हुआ है; या

(घ) यदि उनका धारक, इस अधिनियम या हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1983 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध, या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, या व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 482 से 489 (दोनों सहित) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या सीमा—शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 में निर्दिष्ट किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ङ) जहां, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास इस अधिनियम के अधीन पट्टा के प्राप्तिकर्ता (पट्टाधारी) के आवेदन पर, ऐसे प्राप्तिकर्ता (पट्टाधारी) के लिखित अनुरोध पर प्रदान किया गया है; या

(च) इच्छा पर, यदि अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र या पास की शर्तें, ऐसे रद्दकरण या निलम्बन के लिए उपबन्ध करती है।

30. किसी अन्य अनुज्ञप्ति को रद्द करने और फीस वसूल करने की शक्ति.—(1) जब किसी व्यक्ति द्वारा धारित अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारा 29 के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन रद्द किया जाता है तो अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी, उस की अधिकारिता के अधीन ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त किसी अन्य अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को भी रद्द कर सकेगा परन्तु यदि ऐसी अन्य अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया है तो वित्तायुक्त, उसे रद्द या निलम्बित कर सकेगा।

(2) धारा 29 के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या निलम्बन की दशा में, यदि ऐसा रद्दकरण या निलम्बन न हुआ होता तो, शेष बची हुई अवधि जिस के लिए कोई अनुज्ञप्ति चालू रहती है, के लिए संदेय फीस पूर्व—अनुज्ञप्तिधारी से आबकारी राजस्व के रूप में वसूल की जाएगी।

31. अनुज्ञप्ति आदि के रद्दकरण या निलम्बन हेतु कोई प्रतिकर या प्रतिदाय दावा योग्य नहीं.—जब कोई पट्टा, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारा 29 के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) या धारा 30 के अधीन रद्द या निलम्बित किया गया है, तो, यथास्थिति, ऐसे पट्टा, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास का धारक, इसके रद्दकरण या निलम्बन के लिए न तो किसी प्रतिकर का और न ही उस की बाबत संदत्त किसी फीस या किए गए निक्षेप (जमा) का हकदार होगा।

32. अनुज्ञप्ति आदि को प्रत्याहृत करने की शक्ति.—(1) जब कभी, वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास प्रदान किया है समझता है कि ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को धारा 29 में विनिर्दिष्ट से अन्यथा किसी हेतुक (कारण) के लिए प्रत्याहृत कर लिया जाना चाहिए, तो वह,——

(क) उसके ऐसा करने के आशय के पन्द्रह दिनों के लिखित नोटिस के अवसान पर अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास का प्रत्याहरण कर सकेगा; या

(ख) ऐसी किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को तत्काल बिना नोटिस के प्रत्याहृत कर सकेगा।

(2) यदि कोई अनुज्ञप्ति उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन बिना नोटिस के तत्काल प्रत्याहृत कर ली जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में संदत्त की जाएगी, जैसी वित्तायुक्त निदेश दे।

(3) जब इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास प्रत्याहृत किया जाता है, तो उसकी बाबत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अग्रिम में संदत्त की गई किसी फीस या किए गए किसी निक्षेप (जमा) का, राज्य सरकार को देय रकम, यदि कोई हो, को काटने के पश्चात्, उसे प्रतिदाय किया जाएगा।

33. अनुज्ञप्ति आदि में तकनीकी अनियमितताएं.—(1) इस अधिनियम के अधीन जारी कोई भी पट्टा, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि पट्टा, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास में या उसके जारी करने से पूर्व की गई किसी कार्यवाही में कोई तकनीकी त्रुटि, अनियमितता या लोप है।

(2) तकनीकी त्रुटि, अनियमितता या लोप के बारे में वित्तायुक्त का विनिश्चय अन्तिम होगा।

34. अनुज्ञप्ति आदि के नवीकरण से इन्कार करने पर कोई दावा नही.—कोई भी व्यक्ति, जिसे पट्टा, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास जारी किया गया है उसके नवीकरण का दावा करने का हकदार नहीं होगा और उस अवधि, जिसके लिए यह प्रभावी रहते हैं, के अवसान पर पट्टा, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के नवीकरण से किसी इन्कार के परिणामस्वरूप नुकसानी के लिए या अन्यथा कोई दावा नहीं होगा।

35. अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण.—इस अधिनियम के अधीन शराब विक्रय करने के लिए जारी अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक उस प्राधिकारी को, जिसने अनुज्ञप्ति जारी की है, उस द्वारा उसे अभ्यर्पित करने के अपने आशय के दिए गए एक माह के लिखित नोटिस के अवसान पर तथा अनुज्ञप्ति की सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए वह चालू रहती, यदि अभ्यर्पण नहीं होता, के लिए देय फीस के संदाय के बिना अपनी अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित नहीं करेगा :

परन्तु यदि प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने हेतु पर्याप्त कारण है तो वह, उसके धारक को ऐसे अभ्यर्पण पर संदेय राशि या उसके किसी भाग के लिए माफी (छूट) दे सकेगा।

स्पष्टीकरण.——इस धारा में यथा प्रयुक्त पद 'अनुज्ञप्ति धारक' के अन्तर्गत वह व्यक्ति है जिसकी अनुज्ञप्ति के लिए निविदा या बोली या आवेदन स्वीकृत किया गया है चाहे उसने वस्तुतः अनुज्ञप्ति को प्राप्त नहीं किया है।

अध्याय–5

आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क

36. आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क.–(1) मानव उपभोग के लिए––

(क) इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन राज्य में विनिर्मित, उत्पादित या बोतल में भरी गई;

(ख) भारत में कहीं अन्यथा विनिर्मित या उत्पादित परन्तु राज्य में आयातित और परिवाहित; और

(ग) इस अधिनियम की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसार आयातित, निर्यातित या परिवाहित;

किसी भी प्रकार की मद्यसारिक शराब पर, यथास्थिति, आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क, ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे, उद्गृहीत और संदत्त किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन मद्यसारिक शराब के परिवर्ती प्रकार, प्राबल्य, गुणवत्ता या मूल्य के अनुसार आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क मानव उपभोग हेतु विभिन्न दरों पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी––

(क) भारत में आयातित मानव उपभोग हेतु किसी मद्यसारिक शराब पर, और जो इसके आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन शुल्क के लिए दायी थी, और

(ख) मद्यसार युक्त औषधीय निर्मितियां और प्रसाधन निर्मितियां पर, जिन पर औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 के अधीन आबकारी शुल्क उद्गृहीत किया जाता है,

कोई आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

37. रीति, जिसमें शुल्क उद्गृहीत किया जाए.–समय, स्थान और रीति का विनियमन करने वाले ऐसे नियमों, जिनको वित्तायुक्त विहित करे, के अध्यधीन डिस्टिलरि, ब्रुअरि, वाइनरि या भाण्डागार में आयातित, परिवाहित या विनिर्मित या से जारी मानव उपभोग हेतु मद्यसारिक शराब की मात्रा पर ऐसा शुल्क अनुपाततः उद्गृहीत किया जाएगा।

38. पट्टे प्रदान करने हेतु संदाय.–राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन उद्गृहणीय किसी आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क के अतिरिक्त या के स्थान पर धारा 27 के अधीन किसी अधिकार के पट्टे के प्रतिफलस्वरूप कोई रकम स्वीकार कर सकेगी।

अध्याय–6

अपराध और शास्तियां

39. विधिविरुद्ध उत्पादन, विनिर्माण, कब्जे, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि के लिए शास्ति.– (1) जो कोई भी, इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के उल्लंघन में––

(क) किसी भी प्रकार की शराब का उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या

(ख) किसी डिस्टिलरि या ब्रुअरि या वाइनरि या भाण्डागार का निर्माण या संचालन करता है, या

(ग) किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण या उत्पादन के प्रयोजन के लिए कोई सामग्री, भट्ठी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या साधित्र चाहे जैसी भी हो, का प्रयोग करता है, रखता है या अपने कब्जे में रखता है,

तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, परन्तु पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु यदि कोई अपराध––

(i) किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण के लिए चालू भट्ठी (स्टिल) के कब्जे से सम्बद्ध है तो कारावास तीन वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना एक लाख रुपए से कम नहीं होगा;

(ii) लाहन के कब्जे से सम्बद्ध है तो कारावास एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा;

(iii) हिमाचल प्रदेश में अनुज्ञप्त किसी डिस्टिलरि या भाण्डागार से अन्यथा विनिर्मित देशी शराब के कब्जे से सम्बद्ध––

(क) साढ़े सात लीटर से अनधिक मात्रा के लिए कारावास छह मास से कम नहीं होगा और जुर्माना पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा; और

(ख) साढ़े सात लीटर से अधिक मात्रा के लिए कारावास एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना दस हजार रुपए से कम नहीं होगा;

(iv) विदेशी शराब जिसका,––

(क) भारत में अनुज्ञप्त किसी डिस्टिलरि या ब्रुअरि या वाइनरि या भाण्डागार में विनिर्माण हुआ हो; या

(ख) भारत में आयात किया गया हो और जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय हो;

के कब्जे से सम्बद्ध है, तो कारावास एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई अपराध––

(i) पैंतालीस लीटर से अधिक देशी शराब; या

(ii) पैंतालीस लीटर से अधिक विदेशी शराब; या

(iii) पांच लीटर से अधिक अन्य स्पिरिट के आयात, निर्यात या परिवहन से सम्बद्ध हो,

तो ऐसा कारावास तीन वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना एक लाख रुपए से कम नहीं होगा।

(2) जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी की गई अधिसूचना, या किए गए किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के उल्लंघन में––

(i) किसी प्रकार का अप्रयुक्त और मुद्रित लेबल, कॉर्क, संपुतिका (कैपस्युल), या मोहर या उसकी कोई अनुकृति अपने कब्जे में रखता है; या

(ii) किसी भी प्रकार की शराब का विक्रय करता है; या

(iii) किसी भी प्रकार की शराब बोतल में भरता है; या

(iv) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त किसी डिस्टिलरि, ब्रुअरि, वाइनरि या भाण्डागार से किसी भी प्रकार की शराब को हटाता है; या

(v) ऐसी शराब के विहित प्राबल्य या गुणवत्ता में परिवर्तन के आशय से कोई पदार्थ मिलाकर किसी प्रकार की शराब को अपमिश्रित करता है,

तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी परन्तु जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, परन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

40. विकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने या बनाने का प्रयास करने के लिए शास्ति.– जो कोई, किसी भी प्रकार की विकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास करता है या मानव उपभोग के योग्य इस प्रकार बनाई गई या बनाने के लिए किए गए प्रयासयुक्त किसी प्रकार की स्पिरिट को जानबूझकर अपने कब्जे में रखता है, तो वह कारावास से जो छह मास से कम नहीं होगा परन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा परन्तु जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

41. शराब में अपायकर पदार्थ मिलाने के लिए शास्ति.–जो कोई, उस द्वारा विक्रीत या विनिर्मित या कब्जे में किसी शराब में किन्हीं अपायकार औषधियों (ड्रगज) या किसी विजातीय घटक जिससे मानव को निःशक्तता या घोर उपहति या मृत्यु कारित हो, मिश्रित करता है, तो वह दोषसिद्धि पर,––

(क) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो, दण्ड से जो मृत्युदण्ड तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा;

(ख) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को घोर उपहति होती है, तो कारावास से, जिसकी अवधि छह वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा;

(ग) यदि ऐसे किसी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई अन्य पारिणामिक क्षति होती है, तो कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो लाख पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा; और

(घ) यदि ऐसे किसी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं होती है तो, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा,

दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.––इस धारा के प्रयोजन के लिए पद ''घोर उपहति'' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 320 में परिभाषित है।

42. प्रतिकर का संदाय.—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी तथा किसी अन्य दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय का, किसी मामले में धारा 41 के अधीन निर्णय पारित करते समय, यदि समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति ऐसी शराब के उपभोग के कारण हुई है, तो दोषी पाए गए व्यक्ति को——

(क) प्रत्येक मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को कम से कम तीन लाख रुपए की रकम की, या

(ख) जिस व्यक्ति को घोर उपहति कारित हुई हो को कम से कम दो लाख रुपए की रकम की, या

(ग) उस व्यक्ति को किसी अन्य पारिणामिक क्षति के लिए कम से कम बीस हजार रुपए की, रकम की,

प्रतिकर के रूप में अदायगी के आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर सकेगा :

परन्तु कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उपधारा (1) के अधीन संदत्त किए जाने को आदेशित प्रतिकर की रकम न्यायालय में जमा न कर दी गई हो :

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय, उक्त नब्बे दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित हुआ था।

43. अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कृत्यों के लिए शास्ति.—जो कोई, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास का धारक होते हुए या ऐसे धारक के नियोजन में होते हुए या उसकी ओर से कार्य करते हुए——

(क) अनुज्ञप्त परिसरों में विच्छृंखल आचरण या द्यूतक्रीड़ा या वैश्यावृति को अनुज्ञात करता है, या

(ख) किसी आबकारी अधिकारी की मांग पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को प्रस्तुत करने में जानबूझ कर असफल रहता है; या

(ग) किसी भी मामले में, जिसके बारे में धारा 39 में उपबन्ध नहीं है, धारा 80 या 81 के अधीन बनाए गए किसी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करता है; या

(घ) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की किन्हीं शर्तों, जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित नहीं है, के भंग में किसी बात को जानबूझ कर करता है या लोप करता है; या

(ङ) किसी भी प्रकार शराब के प्राबल्य (स्ट्रेन्थ) को, विहित सीमा से नीचे, कम करता है;

तो वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा लेकिन पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

44. अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता या उसके सेवक द्वारा कपट के लिए शास्ति.—यदि कोई अनुज्ञप्त विनिर्माता या अनुज्ञप्त विक्रेता या उसके नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति——

(क) किसी प्रकार की शराब, जिसके बारे में, वह जानता है या जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसी शराब परिशोधित स्पिरिट या देशी शराब से विनिर्मित की गई है; या

(ख) परिशोधित स्पिरिट या देशी शराब से इस प्रकार विनिर्मित शराब से अन्तर्विष्ट किसी बोतल, केस, पैकेज या अन्य पात्र या ऐसी शराब से अन्तर्विष्ट अन्य पात्र को यह विश्वास कराने के आशय से चिन्हांकित करता है कि ऐसी बोतल, केस, पैकेज या अन्य पात्र में विदेशी शराब है,

तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

45. रसायनज्ञ (कैमिस्ट) की दुकान में शराब का उपभोग करने के लिए शास्ति.—(1) यदि कोई रसायनज्ञ (कैमिस्ट), औषधि विक्रेता औषधकार या औषधालय चलाने वाला कोई व्यक्ति, अपने व्यावसायिक परिसर में, किसी भी प्रकार की शराब का, जो वास्तव में औषधीय प्रयोजनों के लिए नहीं बनाई गई है, किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग करना अनुज्ञात करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसे परिसर में, ऐसी किसी शराब का उपभोग करता है, तो वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

46. सार्वजनिक स्थानों में शराब का उपभोग करने के लिए शास्ति.—जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में,——

(क) किसी अनुज्ञप्त सार्वजनिक स्थान में शराब का उपभोग करता है, या

(ख) किसी स्थान पर शराब का उपभोग करने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान पर उत्पात करता है, तो——

(i) खण्ड (क) के अधीन किसी अपराध की दशा में, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा और पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा; और

(ii) खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा तथा दस हजार रुपए तक का हो सकेगा,

दण्डनीय होगा।

47. अन्यथा अनुपबंधित अपराधों के लिए शास्ति.—जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश के उपबन्धों के उल्लंघन में, जिसके लिए इस अधिनियम में उपबन्ध नहीं है, किसी कार्य का या साशय लोप का दोषी है, तो वह ऐसे प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

48. किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के मद्दे विनिर्माण, विक्रय या कब्जा.—(1) जब किसी भी प्रकार की शराब, किसी अन्य व्यक्ति के मददे किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्मित की गई है या विक्रीत की गई है या कब्जे में रखी गई है और ऐसा अन्य व्यक्ति जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा विनिर्माण या विक्रय उसके मद्दे था या ऐसा कब्जा उसके मद्दे है, तो वह वस्तु इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा विनिर्मित की गई या विक्रय की गई समझी जाएगी या उसके कब्जे में समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी भी व्यक्ति को, जो किसी अन्य व्यक्ति के मद्दे किसी भी प्रकार की शराब विनिर्मित करता है, उसका विक्रय करता है या उसे कब्जे में रखता है, ऐसी वस्तु के विधिविरुद्ध विनिर्माण, विक्रय या कब्जे के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी दण्ड के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।

49. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड.—जो कोई इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर, तत्पश्चात् उक्त धारा के अधीन किसी ऐसे ही अपराध के लिए दोषसिद्ध होता है तो वह, ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पूर्व दोषसिद्धि पर अधिनिर्णीत कारावास और जुर्माने के दोहरे दण्डादेश से दण्डनीय होगा :

परन्तु वर्धित दण्ड पांच वर्ष के कारावास और तीन लाख रुपए के जुर्माने से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि वर्धित दण्ड, इस अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के प्रथम या द्वितीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए उपबन्धित न्यूनतम दण्डादेश को किसी भी दशा में प्रभावित नहीं करेगा।

50. दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना.—जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या दुष्प्रेरण करेगा तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड का दायी होगा।

51. गिरफ्तारियों, तलाशियों आदि से सम्बद्ध प्रक्रिया.—इस अधिनियम में, अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित के सिवाय, गिरफ्तारियों, अभिरक्षा में निरोधों, तलाशियों, समनों, गिरफ्तारी वारंटों, तलाशी वारंटों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को पेश करने और अपराधों के अन्वेषण आदि से सम्बद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन इनकी बाबत की गई समस्त कार्रवाई पर लागू होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना धारा 9 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी द्वारा अन्वेषित किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि जब कभी कोई आबकारी अधिकारी कोई गिरफ्तारी, अभिग्रहण करता है या तलाशी लेता है तो वह उसके चौबीस घण्टों के भीतर गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी की समस्त विशिष्टियों की पूर्ण रिपोर्ट अपने अव्यवहित पदीय (शासकीय) वरिष्ठ को देगा, और जब तक इस धारा के अधीन जमानत स्वीकृत नहीं की जाती, तब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या अभिग्रहण की गई वस्तु को, सुविधाजनक प्रेषण सहित, विचारण या न्यायनिर्णयन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

52. कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए अन्वेषक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट.—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, यदि इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा किसी अन्वेषण पर उसे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के अभियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है तो, जब तक अन्वेषण अधिकारी धारा 66 के अधीन अपनी रिपोर्ट कलक्टर के आदेश हेतु प्रस्तुत नहीं करता है तब तक मामले में जांच करने या विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले और पुलिस रिपोर्ट पर अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सशक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 के प्रयोजनों के लिए पुलिस रिपोर्ट समझी जाएगी।

(2) यदि अन्वेषण की समाप्ति पर आबकारी अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अभियुक्त के अभियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो वह सम्बद्ध कलक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

53. अपराधों का जमानतीय आदि होना.—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय सभी अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थ के अन्तर्गत जमानतीय होंगे :

परन्तु इस अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक और द्वितीय परन्तुक तथा धारा 40 और 42 के अधीन दण्डनीय अपराध, अजमानतीय होंगे।

54. वारण्ट के बिना गिरफ्तारी की दशा में हाजिरी के लिए प्रतिभूति.—(1) राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकारी धारा 9 के अधीन सशक्त नहीं है, किसी आबकारी अधिकारी को जमानत प्रदान करने हेतु सशक्त कर सकेगी।

(2) जब कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन, वारण्ट से अन्यथा, किसी व्यक्ति या अधिकारी, जो जमानत देने को सशक्त नहीं है, द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे––

(क) जमानत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त नजदीक के आबकारी अधिकारी, या

(ख) निकटतम पुलिस स्टेशन, जो भी नजदीक हो, के भारसाधक अधिकारी, के समक्ष पेश किया जाएगा।

(3) जब कभी इस अधिनियम के अधीन, वारण्ट से अन्यथा गिरफ्तार कोई व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है, और उपधारा (2) के अनुसार जमानत देने के लिए सशक्त किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया है या के समक्ष पेश किया गया है तो उसे जमानत पर, या उसे मुक्त करने वाले अधिकारी के विवेकानुसार उस के स्वबंधपत्र पर मुक्त किया जाएगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 33 के उपबन्ध, जहां तक हो सके प्रत्येक मामले में, जिसमें इस धारा के अधीन जमानत स्वीकृत की गई है या बंधपत्र लिया गया है, लागू होंगे।

55. अपराधों का संज्ञान.–(1) कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट,––

(क) धारा 39, 40 या 41 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, आबकारी अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट पर के सिवाय, नहीं करेगा; या

(ख) धारा 26, 43, 44, 45, 46, 47 या 59 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, कलक्टर या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी आबकारी अधिकारी की शिकायत पर, के सिवाय नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा अन्यत्र उपबन्धित के सिवाय कोई भी न्यायालय उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के अवसान के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) अपराधों के लिए परिसीमा काल निम्न प्रकार से होगा––

(क) यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है, छह मास;

(ख) यदि अपराध कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, दण्डनीय है, एक वर्ष; और

(ग) यदि अपराध कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक है, दण्डनीय है, तीन वर्ष।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, उन अपराधों, जिन्हें साथ जोड़ा जा सकेगा, की बाबत परिसीमा काल अपराध के सन्दर्भ में जो, यथास्थिति, अधिक कठोर दण्ड या अधिकतम कठोर दण्ड से दण्डनीय है, अवधारित किया जाएगा।

56. कतिपय मामलों में अपराध के किए जाने की उपधारणा.–(1) जब किसी व्यक्ति के कब्जे में––

(क) कोई भट्ठी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या साधित्र जैसा भी हो या उसका कोई भाग या उसके भाग जिसे / जिन्हें किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण के लिए साधारणतया प्रयुक्त किया जाता है, पाया जाता है / पाए जाते हैं, या

(ख) कोई सामग्री, जो शराब के विनिर्माण की किसी प्रक्रिया से गुजरी है या जिससे शराब विनिर्मित की गई है, पाई जाती है,

तो वहां, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा की जाएगी कि उस पर कब्जा इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में था।

(2) और साक्ष्य के बिना जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने विक्रीत स्पिरिट, जिसे मानव उपभोग हेतु उचित बनाया गया है या उचित बनाने का प्रयास किया गया है की बाबत धारा 40 के अधीन अपराध किया है।

57. कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा किए गए अपराध के लिए नियोक्ता का दायित्व.–इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारक के साथ–साथ वास्तविक अपराधी धारा 26, 39, 40, 43 या 44 के अधीन उसके नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दण्डनीय

अपराध के लिए तब तक, उसी प्रकार दायी होगा मानो उसने अपराध स्वयं किया हो, जब तक कि वह यह सिद्ध न करे कि ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए उसके द्वारा समस्त, सम्यक् और युक्तियुक्त, पूर्वावधानियां बरतीं गई थी।

58. कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगति.—अपराधों के अन्वेषण के लिए धारा 9 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष, ऐसे अधिकारी द्वारा किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कथन, अधिनियम के अधीन किसी अपराध हेतु किसी अभियोजन में, तथ्यों की सत्यता, जिसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट हो, सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा——

(क) जब ऐसा व्यक्ति जिसने कथन किया है कि मृत्यु हो चुकी है, या उसे खोजा नहीं जा सकता, या साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है, या विपक्षी पक्षकार द्वारा अगम्य रखा गया है, या जिसकी उपस्थिति ऐसे मामले जिसे न्यायालय अयुक्तियुक्त समझे, की परिस्थितियों के अधीन, विलम्ब या व्यय के बिना अभिप्राप्त नहीं की जा सकती; या

(ख) जब ऐसे व्यक्ति, जिसने कथन किया है, कि मामले में न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में परीक्षा की गई हो और न्यायालय की मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि न्याय के हित में कथन को साक्ष्य में स्वीकृत किया जाना चाहिए।

59. किसी आबकारी अधिकारी द्वारा तंग करने वाली तलाशी, अभिग्रहण, निरोध या गिरफ्तारी करने के लिए शास्ति.—कोई आबकारी अधिकारी, जो तंग करने के लिए और विनिर्दिष्ट सूचना या संदेह के लिए युक्तियुक्त आधार के बिना,——

(क) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अभासी प्रयोग के अधीन किसी बन्द स्थान में प्रवेश करता है या तलाशी लेता है या प्रवेश करवाता है या तलाशी करवाता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिए दायी किसी वस्तु के अभिग्रहण या तलाशी लेने के बहाने किसी व्यक्ति की चल सम्पत्ति का अभिग्रहण करता है; या

(ग) किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है, उसे निरुद्ध या गिरफ्तार करता है; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्रकार से अपनी विधिपूर्ण शक्तियों के बाहर कार्य करता है,

दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

अध्याय—7

अधिहरण

60. वस्तु का अधिहरण (जब्ती) जिसकी बाबत अपराध किया गया है.—(1) जब इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया हो तो,——

(क) प्रत्येक शराब या एक्साईज बोतल, जिसकी बाबत ऐसा अपराध किया गया है, ऐसी बोतल की अन्तर्वस्तु सहित, यदि कोई हो;

(ख) प्रत्येक भट्ठी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या साधित्र और समस्त सामग्रियों जिनकी बाबत या जिनके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है;

(ग) विधिपूर्वक आयातित, परिवाहित या विनिर्मित प्रत्येक शराब या एक्साईज बोतल जो कब्जे में रही हो या खण्ड (क) के अधीन अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी किसी भी प्रकार की शराब के साथ या के अतिरिक्त विक्रीत की गई है;

(घ) प्रत्येक पात्र, पैकेज, कन्टेनर और आच्छादन (कवरिंग) जिसमें यथापूर्वोक्त किसी भी प्रकार की शराब, एक्साईज बोतल, सामग्री, भट्ठी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या साधित्र ऐसे पात्र या पैकेज,

कन्टेनर या आच्छादन (कवरिंग) के अन्य पदार्थों, यदि कोई हो, के साथ पाया गया है या पाए गए हों; और

(ङ) प्रत्येक गाड़ी, जलयान, बेड़ा या अन्य वाहन, जो यथापूर्वोक्त ऐसे पात्र, पैकेज, कन्टेनर, आच्छादन (कवरिंग) या सामग्री ले जाने में उपयोग किए जाते हैं या जाते हों; अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी होंगे।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विचारण में न्यायिक मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट कोई वस्तु अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी है तो वह धारा 61 में यथा विनिर्दिष्ट शराब, यान या वाहन के सिवाय उसके अधिहरण (जब्ती) के लिए आदेश कर सकेगा।

(3) जब यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किन्तु अपराधी की जानकारी नहीं है या पाया नहीं जा सकता तथा जब इस अधिनियम के अधीन अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और उसका सन्तोषजनक रूप में कोई लेखा–जोखा नहीं है, तो मामले की जांच और निर्धारण सम्बद्ध कलक्टर द्वारा किया जाएगा, जो उसके अधिहरण (जब्ती) के आदेश दे सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, प्रश्नगत वस्तु (चीज) के अभिग्रहण की तारीख से एक मास के अवसान तक या उस पर किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति, यदि कोई है, को सुने बिना तथा साक्ष्य, यदि कोई है, जो वह अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करता है, पर विचार किए बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि प्रश्नगत वस्तु (चीज) शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि सम्बद्ध कलक्टर की यह राय है कि प्रश्नगत वस्तु (चीज) का विक्रय उसके स्वामी के लिए लाभप्रद होगा, तो वह, किसी भी समय, उसके विक्रय का निर्देश दे सकेगा; और इस धारा और धारा 62 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम को लागू होंगे।

61. अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी यान, वाहन और शराब का निरीक्षण तथा अभिग्रहण.–(1) कोई भी आबकारी अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन अपराध किए जाने में कोई यान या वाहन प्रयुक्त किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसे यान या वाहन के चालक या उसके भार–साधक अन्य व्यक्ति से इसे रोकने की अपेक्षा करेगा और उसे तब तक के लिए रोके रखेगा जब तक यान में रखे पदार्थों के परीक्षण और यान से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के निरीक्षण, जो ऐसे यान या वाहन के ऐसे चालक या उसके भार साधक अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

(2) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी शराब की बाबत धारा 39 के अधीन कोई अपराध किया गया है, तो ऐसे अपराध के करने में प्रयुक्त किए गए यान या वाहन सहित ऐसी शराब का अभिग्रहण किसी भी आबकारी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी भी यान, शराब या वाहन का अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक आबकारी अधिकारी, ऐसे यान, शराब या वाहन पर यह उपदर्शित करते हुए एक चिन्ह अंकित करेगा कि इसे अभिगृहीत किया गया है और उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र जिला के प्रभारी आबकारी अधिकारी को करेगा।

(4) शराब या यान या वाहन का अभिग्रहण करने वाला आबकारी अधिकारी, शराब, यान या वाहन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, जब तक कि जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा धारा 62 के अधीन आदेश पारित नहीं कर दिए जाते, समुचित कदम उठाएगा।

62. कतिपय मामलों में आबकारी अधिकारी द्वारा यान या वाहन का अधिहरण (जब्ती).–(1) जहां इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन शराब की बाबत अपराध किए जाने का विश्वास है तो जिला का प्रभारी आबकारी अधिकारी, अपना समाधान हो जाने पर कि धारा 39 के अधीन किए गए अपराध में यान या वाहन प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार अभिगृहीत शराब सहित यान या वाहन के अधिहरण (जब्ती) का आदेश दे सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अधिहरण का आदेश पारित करने के पश्चात् जिला के प्रभारी आबकारी अधिकारी की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह अधिहरण (जब्त) किए यान या वाहन या शराब को लोक नीलाम द्वारा बेचने के आदेश दे सकेगा और उसके आगम ऐसी किसी नीलाम के खर्चों या उससे सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक खर्चों की कटौती के पश्चात् जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया अधिहरण (जब्ती) का आदेश धारा 68 या 68 के अधीन आदेश द्वारा अपास्त या बातिल कर दिया जाता है, उसके स्वामी को या उस व्यक्ति को, जिससे इसे अधिगृहीत किया गया था, संदत्त किए जाएंगे।

63. धारा 62 के अधीन अधिहरण (जब्ती) से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करना.—(1) धारा 62 के अधीन किसी भी यान या वाहन के अधिहरण का कोई भी आदेश, उस व्यक्ति को, जिससे इसे अधिगृहीत किया गया है, या उसके रजिस्ट्रीकृत स्वामी को, लिखित में नोटिस दिए बिना और उनके आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार किए बिना नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम की धारा 62 के अधीन किसी यान या वाहन के अधिहरण (जब्ती) का कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे यान या वाहन का स्वामी जिला के प्रभारी आबकारी अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि इसे शराब का वहन करने के लिए स्वयं स्वामी, उसके अभिकर्ता, यदि कोई है, के ज्ञान या मौनानुकूलता के बिना प्रयुक्त किया गया था और ऐसे यान या वाहन के प्रभारी व्यक्ति और प्रत्येक ने उसके ऐसे उपयोग के विरुद्ध समस्त युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानियां बरतीं थी :

परन्तु अधिनियम की धारा 62 के अधीन किया गया अधिहरण (जब्ती) उस अपराध के लिए अभियुक्त के दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी है।

64. अधिहरण (जब्ती) के बदले शास्ति.—धारा 62 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला का प्रभारी आबकारी अधिकारी यान के अधिहरण (जब्ती) के बदले, शास्ति के रूप में कोई रकम स्वीकार कर सकेगा जो यान या वाहन के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी।

65. विचारण के लम्बित रहने के दौरान अभिगृहीत शराब का निपटान.—(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किसी प्रकार की शराब, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध के विचारण की विषय—वस्तु हो, तो वह, इसके अभिग्रहण के पश्चात्, इसकी चोरी, प्रतिस्थापन की भेद्यता, उचित भण्डारण स्थान की कमी या कोई अन्य सुसंगत बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में निपटान करने का आदेश दे सकेगा जैसी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) जहां किसी प्रकार की शराब का अभिग्रहण किया गया है और इसे निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अग्रेषित किया गया है, वहां उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी, इसके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके (ढंग), चिन्ह या संख्या या ऐसी शराब या पैकिंग जिसमें इसे पैक किया गया है, की पहचान की अन्य विशिष्टियां, उद्गम के देश या राज्य और अन्य विशिष्टियां जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में शराब की पहचान हेतु सुसंगत समझे, से सम्बद्ध ऐसे ब्यौरों से अन्तर्विष्ट, ऐसी शराब की सूची तैयार करेगा, तथा——

(क) इस प्रकार तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करते हुए; या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, इस प्रकार की शराब का फोटोग्राफ लेते हुए और ऐसे फोटोग्राफ को सत्य प्रमाणित करते हुए; या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, ऐसे शराब के नमूने लेने की अनुज्ञा देते हुए और ऐसे लिए गए नमूनों की सूची की शुद्धता प्रमाणित करने, के प्रयोजन हेतु,

उसको आवेदन करेगा।

(3) जहां उप–नियम (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट यथाशक्यशीघ्र आवेदन अनुज्ञात करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, तालिका (सूची), शराब के फोटोग्राफ और उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित नमूनों की किसी सूची को, ऐसे अपराध की बाबत प्रथम साक्ष्य के रूप में मानेगा।

अध्याय–8

शमन

66. कलक्टर द्वारा अपराधों का शमन.–(1) कलक्टर, किसी भी व्यक्ति से आवेदन पर, जिस पर इस अधिनियम की धारा 50 के अधीन इन में से किन्हीं अपराधों को करने या दुष्प्रेरित करने का प्रयत्न करने सहित धारा 26, 43, 44, 45, 46, 47 या 59 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध के किए जाने का युक्तियुक्त रूप से सन्देह है, शमन–स्वरूप, न्यूनतम पांच हजार रुपए के अध्यधीन पच्चीस हजार रुपए से अनधिक रकम स्वीकार कर सकेगा, और ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसी रकम के कलक्टर को संदाय पर, अभियुक्त व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा तथा ऐसे अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई आगामी कार्यवाहियां नहीं की जाएगी।

(2) यदि कोई पट्टा (लीज), अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास रद्दकरण या निलम्बन के लिए दायी हो गया है या इस अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन प्राधिकारी जिसको, इसे रद्द या निलम्बित करने की शक्ति है ऐसे पट्टे, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के धारक द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसी शास्ति, जैसी वह नियत करे, के संदाय के पश्चात् ऐसे, रद्दकरण या निलम्बन का, यथास्थिति, प्रतिसंहरण करेगा या त्यजन कर सकेगा।

(3) जहां किसी भी प्रकार की शराब को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभिगृहीत किया गया है तो कलक्टर, धारा 60 की उपधारा (2) के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व, किसी भी समय यदि वह इसे समीचीन समझे परन्तु धारा 65 के उपबन्धों के अध्यधीन, इसे इसके मूल्य के संदाय की प्राप्ति पर निर्मुक्त कर सकेगा, यदि ऐसी शराब मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त है :

परन्तु यह कि ऐसी निर्मुक्ति अभियुक्त के उस अपराध, जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी है, के दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा।

67. कतिपय अन्य अपराधों का शमन.–(1) धारा 39 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या उसके पश्चात् 100 लीटर तक लाहन या 45 बल्क लीटर तक शराब के आयात, निर्यात, परिवहन या कब्जे से सम्बन्धित किए गए किसी भी अपराध का शमन, अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर––

(i) अभियोजन संस्थित करने से पूर्व आबकारी अधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा (जो जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी की पंक्ति के नीचे का न हो), और

(ii) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा जो ऐसी रकम जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगी किन्तु पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, स्वीकार करते हुए किया जा सकेगा।

(2) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया जा चुका है, तो अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध को तीन से अधिक बार करता है, तो उसका शमन नहीं किया जाएगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन किसी मामले का शमन किया जा चुका हो, तो, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का आबकारी अधिकारी (जो जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो) ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह मामले से सम्बन्धित सम्पत्ति के निपटारे के लिए उचित समझे।

अध्याय–9

अपील और पुनरीक्षण

68. अपील.–(1) इस अधिनियम के अधीन किसी आबकारी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर, कलक्टर को विहित रीति में अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कलक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित, कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर, वित्तायुक्त को अपील कर सकेगा।

69. पुनरीक्षण.–(1) वित्तायुक्त, स्वप्रेरणा से किसी भी समय, किन्हीं भी कार्यवाहियों, जो किसी कलक्टर या आबकारी अधिकारी के समक्ष लम्बित है या उसके द्वारा निपटा दी गई है, के अभिलेख, ऐसी कार्यवाहियों या उनमें किए गए आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, मंगवा सकेगा और उनके सम्बन्ध में वह ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी ऐसा आदेश, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

70. कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन.–इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियां या पारित आदेश, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होंगे।

अध्याय–10

देयों की वसूली

71. अनुज्ञप्ति फीस आदि वसूल करने की शक्ति.–धारा 29 के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या निलम्बन की दशा में, शेष अवधि जिसके लिए कोई भी अनुज्ञप्ति चालू रहती, यदि ऐसा रद्दकरण या निलम्बन न होता, के लिए किसी अन्य फीस सहित देय फीस, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से आबकारी राजस्व के रूप में वसूल की जाएगी।

72. अनुदान अपने प्रबन्धाधीन लेने या पुनः विक्रय करने तथा कमी वसूल करने की कलक्टर की शक्ति.–यदि इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति का धारक या कोई व्यक्ति, जिसे धारा 27 के अधीन पट्टा प्रदान किया गया है, ऐसी अनुज्ञप्ति या पट्टे द्वारा उस पर अधिरोपित किसी शर्त के अनुपालन में व्यतिक्रम करता है, तो कलक्टर उस व्यक्ति के जोखिम पर, जिसने इस प्रकार व्यतिक्रम किया है, अनुदान अपने प्रबन्धाधीन ले सकेगा या इसका पुनः विक्रय कर सकेगा तथा कीमत में किसी कमी या ऐसी पुनः विक्री के समस्त खर्चों को इस अधिनियम की धारा 73 में विनिर्दिष्ट रीति में वसूल कर सकेगा।

73. आबकारी राजस्व का प्रथम प्रभार होना और भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होना.–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय समस्त अन्य रकमों सहित, आबकारी राजस्व की कोई रकम, डिस्टिलरि, ब्रुअरि, वाइनरि, भाण्डागार, दुकान, परिसरों, फिटिंगज, साधित्रों और शराब के समस्त भण्डार (स्टाक) या उसके उत्पादन के लिए सामग्री सहित, ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति पर, प्रथम प्रभार होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय समस्त अन्य रकमों सहित समस्त आबकारी राजस्व, जो देय तारीख के पश्चात् असंदत्त रहते हैं, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

अध्याय–11

साधारण उपबन्ध

74. माप, बाट और परीक्षण उपकरण.–प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी प्रकार की शराब का विनिर्माण या विक्रय करता है––

(क) इस प्रकार के माप, बाट और उपकरण रखने, जैसे वित्तायुक्त विनिर्दिष्ट करे, और उन्हें अच्छी स्थिति में रखने के लिए आबद्ध होगा; और

(ख) इस निमित्त कलक्टर द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त किसी आबकारी अधिकारी की अध्यपेक्षा पर, किसी भी समय, उसके कब्जे में किसी भी प्रकार की शराब का माप, तोल या परीक्षण, ऐसी रीति में करने के लिए आबद्ध होगा, जैसी उक्त आबकारी अधिकारी अपेक्षा करे।

75. छूट देने की शक्ति.–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्णतः या भागतः और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह उचित समझे, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबन्धों से किसी भी प्रकार की शराब को छूट प्रदान कर सकती है।

76. शक्तियों का प्रत्यायोजन.–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, धारा 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 36, 75 और 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों को वित्तायुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वित्तायुक्त या कलक्टर द्वारा, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के अधीन इस अधिनियम द्वारा उन्हें प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन अनुज्ञात कर सकेगी।

77. विज्ञापन विनियमित करने की शक्ति.–शराब के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष या प्रच्छन (अप्रत्यक्ष) विज्ञापन नहीं दिया जाएगा।

78. पड़ताल चौकियों (चैक पोस्ट्स) या नाकों (बैरियरों) की स्थापना.–वित्तायुक्त अधिसूचना द्वारा, किसी भी प्रकार की शराब के किसी भी उपाय द्वारा अवैध परिवहन को रोकने और जांच करने के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, ऐसे स्थानों पर, जैसे यह ठीक समझे, पड़ताल चौकियाँ (चैक पोस्ट्स) या नाके (बैरियर) स्थापित कर सकेगा।

79. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.–इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आदिष्ट या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कर्त्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में नहीं होगी।

80. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.–(1) धारा 81 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार,––

(क) आबकारी अधिकारी की शक्तियों और कर्त्तव्यों के लिए उपबन्ध करने;

(ख) वित्तायुक्त या कलक्टर द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुज्ञा (अनुमति) देने;

(ग) अपीलें प्रस्तुत करने के लिए समय और रीति तथा अपीलों के संचालन और निपटारे हेतु प्रक्रिया के लिए उपबन्ध करने;

(घ) किसी भी प्रकार की शराब या शीरे या आबकारी बोतल (एक्साइज बोटल) का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, धारण (कब्जा), आपूर्ति या भण्डारण तथा किसी भी प्रकार की शराब के थोक या खुदरा विक्रय को विनियमित करने;

(ङ) किसी उत्पाद शुल्क या प्रतिशुल्क के संदाय का समय, स्थान और रीति का विनियमन करने और इसके देय संदाय के लिए प्रतिभूति लेने;

(च) आबकारी अधिकारी और भेदियों (इनफारमर्ज) को पुरस्कार प्रदान करने हेतु उपबन्ध करने;

(छ) आबकारी अधिकारियों की साक्षियों को समन करने की शक्तियों को विनियमित करने;

(ज) शराब का अवैध व्यापार करने वालों (बूटलेगरज) की गतिविधियों पर नियन्त्रण करने, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी भी प्रकार की शराब का आसवन, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय या वितरण करते हैं;

(झ) अवधियां तथा स्थान जिनके लिए, और व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें किसी शराब के थोक या खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र (परमिट) तथा पास दिए गए हैं, को विनियमित करने और ऐसी अनुज्ञप्तियों की संख्या, जो स्थानीय क्षेत्र में दी गई हो, को विनियमित करने;

(ञ) परिसरों में उपभोग हेतु शराब के खुदरा विक्रय करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति को देने से पूर्व अपनाई जाने वाली क्रियाविधि (प्रक्रिया) तथा सुनिश्चित किए जाने वाले विषयों के लिए उपबन्ध करने;

(ट) किसी भी प्रकार के विज्ञापन या अन्य सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन या अन्यथा प्रदर्शन या वितरण प्रतिषिद्ध करना जो किसी भी प्रकार की शराब के प्रयोग का या उसके पेश किए जाने का संस्तवन करे या उत्प्रेरित करे जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग तथा सामान्यतः जनसाधारण (पब्लिक), इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों या आदेश का या तद्धीन अभिप्राप्त किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र (परमिट) या पास की शर्तों का भंग करने या अपवंचन करने के लिए प्रोत्साहित हो या उद्वृत हो;

(ठ) राज्य के भीतर किसी समाचार पत्र, पुस्तक, इश्तहार (लीफलिट), पुस्तिका (बुकलेट) या अन्य प्रकाशन जो राज्य के बाहर से मुद्रित (छपवाए) तथा प्रकाशित हों, जिसमें कोई विज्ञापन या खण्ड (ट) में वर्णित स्वरूप का विषय अन्तर्विष्ट हो, का प्रचार, वितरण या विक्रय प्रतिषिद्ध करने;

(ड) किसी समाचार पत्र, पुस्तक, इश्तहार (लीफलिट), पुस्तिका (बुकलेट) या अन्य प्रकाशन जिसमें कोई विज्ञापन या खण्ड (ट) में वर्णित स्वरूप का विषय मुद्रित या प्रकाशित हो, को राज्य सरकार में समपहृत किया जाना घोषित करने; और

(ढ) प्रतिषेध की नीति को साधारणतः कार्यान्वित करने,

के लिए नियम बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल मिलाकर दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के

ठीक पश्चात् के सत्र के अवसान से पूर्व, विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाए या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, यह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे उपान्तरण या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

81. वित्तायुक्त की नियम बनाने की शक्तियां.—वित्तायुक्त, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगा——

(क) किसी भी प्रकार के शराब के विनिर्माण, आपूर्ति, भण्डारण या विक्रय जिसमें ऐसी वस्तु का विनिर्माण, आपूर्ति, भण्डारण या विक्रय हेतु किसी स्थान का स्वरूप, परिनिर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध तथा नियन्त्रण और इसमें बनाए रखे जाने वाले साज–सामान, औजार, संयन्त्र तथा रजिस्टर भी है, को विनियमित करने;

(ख) विक्रय के प्रयोजनों हेतु शराब को बोतल में भरने को विनियमित करने;

(ग) भाण्डागार में किसी शराब का रखना विनियमित करने तथा किसी भाण्डागार या डिस्टिलरि या ब्रुअरि, वाइनरि से किसी शराब के हटाए जाने;

(घ) फीस का पैमाना (स्केल) या किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र (परमिट) या पास की बाबत या किसी शराब के भण्डारकरण की बाबत संदेय फीस नियत करने की रीति का उपबन्ध करने;

(ङ) किसी फीस के संदाय के समय, स्थान तथा रीति को विनियमित करने;

(च) प्राधिकारी जिसके द्वारा, निर्बन्धन जिनके अधीन तथा शर्तें, जिन पर कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास दिया जा सकेगा, का उपबन्ध करने, जिसमें निम्नलिखित भी हो सकेगा——

(i) किसी पदार्थ, जो हानिकर (अनिष्टकर) या आपत्तिजनक समझा जाए, का किसी शराब में मिश्रण निषेध करना;

(ii) किसी अनुज्ञप्त विनिर्माता या अनुज्ञप्त विक्रेता द्वारा शराब के प्राबल्य (स्ट्रेन्थ) को उच्चतर से निम्नतर करने को विनियमित या निषेध करना;

(iii) शराब के प्राबल्य (स्ट्रेन्थ) या कीमत को नियत करना जिससे नीचे या ऊपर उसका विक्रय, आपूर्ति नहीं की जा सकेगी या कब्जे में नहीं रखा जा सकेगा;

(iv) नकदी के सिवाय किसी शराब के विक्रय को निषेध करना;

(v) दिन तथा घण्टे जिनके दौरान किसी अनुज्ञप्त परिसर को खुला या खुला नहीं रखा जा सकेगा, नियत करना और ऐसे परिसरों को विशेष अवसरों पर बन्द करना;

(vi) परिसर, जिन में किसी शराब का विक्रय किया जा सकेगा, के स्वरूप का विनिर्देश, और ऐसे परिसरों पर अभिदर्शित किए जाने वाले नोटिस;

(vii) अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा बनाए जाने वाले लेखों तथा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के प्ररूप;

(viii) अनुज्ञप्तियों के अन्तरण का निषेध या विनियमन;

(ix) प्रक्रिया घोषित करना जिसके द्वारा स्पिरिट को विकृत किया जाएगा;

(x) अभिकरण के माध्यम से या अपने अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन स्पिरिट का विकृत किया जाना; और

(xi) सुनिश्चित करना कि क्या ऐसी स्पिरिट को विकृत किया गया है;

(छ) मानवीय उपभोग या उपयोग के लिए अनुपयुक्त समझे जाने वाली किसी शराब को नष्ट करने या अन्य व्यवस्था हेतु उपबन्ध करना;

(ज) अधिहृत वस्तुओं के निपटान को विनियमित करना; और

(झ) पट्टों, अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों (परमिटों) या पास धारकों द्वारा उनकी शर्तों के अनुपालन के लिए निक्षिप्त की जाने वाली प्रतिभूति की रकम हेतु उपबन्ध करना।

82. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 88 के फलस्वरूप इसकी धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त और हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 के फलस्वरूप प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों को यथा लागू पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 (1914 का पंजाब एक्ट संख्यांक 1), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 1, धारा 3 के खण्डों (3), (5), (6), (6—बी), (9), (10), (11), (12), (12—ए), (14), (16), (19) और (21) और धारा 16, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33—ए, 58, 59 और 60 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के सिवाय उक्त अधिनियम के समस्त अन्य उपबन्ध एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु उक्त अधिनियम के इन उपबन्धों का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,——

(क) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ख) उक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(ग) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार; और

ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार, संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो उक्त अधिनियम के उपबन्ध निरसित नहीं किए गए थे :

परन्तु यह और कि उक्त अधिनियम के निरसित उपबन्धों के अधीन की गई किसी नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, आदेश या निदेश और बनाए गए नियम, प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, उद्गृहीत शुल्क, अधिरोपित अनुज्ञप्ति फीस या अन्य फीस सहित की गई कोई बात या कार्रवाई, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी और ऐसी नियुक्ति, प्रत्यायोजन, अधिसूचना, आदेश, निदेश, नियम, अनुज्ञप्ति, शुल्क, अनुज्ञप्ति फीस और अन्य फीस तद्नुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती।

(2) उक्त अधिनियम के अनिरसित उपबन्धों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए,——

(i) परिभाषाओं,
(ii) अधिकारियों के स्थापन, नियन्त्रण और उनकी शक्तियों और कर्त्तव्यों,
(iii) अपीलों और पुनरीक्षण,
(iv) शक्तियों के प्रत्यायोजन, और
(v) पड़ताल चौकियों (चैक पोस्ट्स) या नाकों (बैरियरों) की स्थापना,

से सम्बन्धित इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्ध उक्त अधिनियम के अनिरसित उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।